



कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) द्रौपदीघाट, इलाहाबाद-211014

परिपत्र संख्या 614

दिनांक 31.12.2018

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

अभिलेख/वेतन लेखा कार्यालय(अ.श्रे.)

.....

विषय: त्रुटिपूर्ण पीडीए में सुधार एवं रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पें.), इलाहाबाद के अभिलेख कार्यालय से प्राप्त पेंशन दावों की सुपुर्दगी के संबंध में।

हाल ही में, शिकायतों से पाया गया है कि इस कार्यालय द्वारा जारी कुछ ई-पीपीओ में पीडीए विवरण यथा- पीडीए नाम/पता, लेखा संख्या इत्यादि सही नहीं है। मामले के विश्लेषण के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है कि ई-पीपीओ निरपवाद रूप से निरसत नहीं किया जाएगा। ई-पीपीओ की प्राप्ति पर यदि अभिलेख कार्यालय देखता है कि पीडीए विवरण गलत ढंग से अधिसूचित किया गया है तब वह पीडीए को नहीं दिया जाएगा और उस असंगति को निरस्तीकरण के लिए तथा सही पीडीए विवरण के साथ एक ताजा ई-पीपीओ जारी करने के लिए इस कार्यालय के ध्यान में लाया जाए। अभिलेख कार्यालय को विवरणात्मक रोल वापस करने के लिए ई-पीपीओ की शुद्धिपत्र पर पीडीए के मार्गदर्शन पत्र प्रकाशित किया जाएगा। यदि उनके द्वारा यह पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। ई-पीपीओ की प्राप्ति पर यदि अभिलेख कार्यालय यह पाता है कि एल.पी. सी सह डाटा शीट में पीडीए विवरण की डाटा उपलब्ध कराने में उनके तरफ से कोई गलती होती है तो एक नई दावे के साथ-साथ ई-पीपीओ के निरस्तीकरण के लिए शुद्धिपत्र डाटा शीट अभिलेख कार्यालय को सूचित किया जाएगा। दावा की प्राप्ति पर उक्त ई-पीपीओ की निरस्तीकरण के लिए एक शुद्ध एवं नया ई-पीपीओ सही पीडीए विवरण के साथ रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पें) द्वारा जारी किया जाएगा। आगे अभिलेख कार्यालय सही ई-पीपीओ संबंधित पीडीए को विवरणात्मक सूची के साथ-साथ अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही एवं पीडीए द्वारा संबंधित पेंशन की अदायगी के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

2- ई-पीपीओ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार एवं प्रसारित किया जा रहा है जिसने पेंशन दावों के प्रसंस्करण से संबंधित कालिक कारक को घटा दिया है (यदि दावे हेतु प्रस्तुत सभी

आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज सही पाए जाते हैं)। वर्तमान में पेंशन दावे इस कार्यालय में समय से कालिक कारक को ध्यान में रखते हुए पीपीओ को तैयार करने एवं प्रसार करने के लिए बर्खास्तगी की तिथि से 6 से 9 माह पूर्व प्राप्त हो रहे हैं। बदले परिदृश्य में, अधिकांश मामलों में ई-पीपीओ पेंशन शुरू होने से 5 से 8 माह पूर्व जारी किए जाते हैं। आगे कई मामलों में पीपीओ के जारी होने एवं बर्खास्तगी के बीच के समय के आकस्मिक निकासी के कारण शुद्धिपत्र पीपीओ के जारी या निरस्तीकरण की आवश्यकता होती है। ऐसे निरस्तीकरण एवं पीपीओ की शुद्धिपत्र अन्य पीपीओ की जारी करने में अनावश्यक देरी हो रही है। बदले परिस्थितियों में, ऐसा देखा गया है कि सेना के जेसीओ/ओआर्स के पेंशन दावों को अनन्तितम करने में 3 महिने का समय पर्याप्त होगा। इस प्रकार अभिलेख कार्यालयों से अनुरोध है कि व्यक्ति के बर्खास्तगी की तिथि से 3 माह से पूर्व पेंशन दावों को प्रस्तुत न करें। बर्खास्तगी की तिथि से 3 माह पूर्व प्राप्त मामले मार्च 2019 के बाद विचार तथा संबंधित अभिलेख कार्यालयों को वापस नहीं किया जाएगा।

3 .यह परिपत्र इस कार्यालय की वेबसाइट www.pcdapension.nic.inपर उपलब्ध है ।

(सुशील कुमार सिंह)

अपर नियंत्रक (पेंशन)

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन (पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. निदेशक (पेंशन), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पेंशन/ सेवाएं), सेना भवन, विंग- ए नई दिल्ली
3. नौसेना मुख्यालय पेंशन भुगतान व ए, डीएचक्यू पोस्ट नई दिल्ली।
4. डीपीए वायु भवन नई दिल्ली -11।
5. वायु सेना मुख्यालय, पता पीपी व पी-3, पश्चिमी खण्ड-6 आर के पुरम् , नई दिल्ली 66
6. वरिष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (लेखा परीक्षा-2), कार्यालय र.ले.म.नि., उलन बटार रोड, पालम दिल्ली छावनी-10।
7. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना) नं. 1 कुपरेज रोड मुम्बई -400039।
8. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडी मंदिर, चंडीगढ ।
9. रक्षा लेखा नियंत्रक (वा.से.) पश्चिमी खण्ड -5 आर.के.पुरम् नई दिल्ली -66
10. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई ।
11. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।

12. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वा.से.) सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-10।
13. निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।
14. समस्त रेजीमेंट, कॉर्प्स।
15. नौसेना पेंशन कार्यालय द्वारा आई.एन.एस., सायन- ट्रॉम्बे रोड, मानखुर्द मुम्बई-400086
16. वायु सेना अभिलेख कार्यालय, धौला कुआं, दिल्ली छावनी।
17. निदेशक एम.पी.8 (आई ऑफ आर) समेकित मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय (सेना) एडजुटेंट ब्रॉच, एम.पी. /एम.पी.8(आई ऑफ आर) अपर महानिदेशक , पश्चिमी खण्ड -3 आर.के.पुरम्, नई दिल्ली-66
18. प्रभारी अधिकारी समस्त अभिलेख/ वेतन लेखा कार्यालय ।
19. मुख्य कार्यालय के सभी अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक।
20. मुख्य कार्यालय के सभी वर्गाधिकारी।
21. प्रभारी अधिकारी जी-1 सैन्य (तक.), लेखा परीक्षा- अन्य श्रेणी (तक.) व जी-1 सिविल(तक.) ।
22. स्वीकृति/अन्य श्रेणी परिसर के समस्त वरि.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
23. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. मै.
24. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर
25. प्रभारी अधिकारी पी.एच.पी सेल, ई.डी.पी. सेन्टर
26. मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभाग।
27. प्रभारी अधिकारी जी-2 अनुभाग
28. प्रभारी अधिकारी जी-3 अनुभाग
29. प्रभारी अधिकारी जी-4 अनुभाग
30. प्रभारी अधिकारी सं.एवं प. अनुभाग
31. प्रभारी अधिकारी शिकायत कक्ष।
32. प्रभारी अधिकारी संगणक केन्द्र को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
33. रक्षा पेंशन लाइजन कक्ष।
34. प्रभारी अधिकारी स्वागती कक्ष स्थानीय।
35. निदेशक रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद।
36. अतिरिक्त प्रतियां ।

(ए.के.मालवीय)
वरि.लेखाधिकारी (पेंशन)